

# जिला न्यायालय दुर्ग में पॉश एक्ट एवं श्रम कानूनों पर जागरूकता कार्यशाला: सुरक्षित कार्यस्थल की दिशा में 'साझा जिम्मेदारी' का संदेश



## समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। एक सुरक्षित कार्यस्थल केवल नियमों से नहीं बनता वह तब बनता है, जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझे और गरिमा, सम्मान तथा समानता को रोज़मर्रा के व्यवहार का हिस्सा बनाए। इसी सोच के साथ जिला न्यायालय दुर्ग के नवीन सभागार में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) तथा महिलाओं के अधिकार एवं श्रम कानून' विषय पर विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यक्रम का मुख्य संदेश था - Safe Workplace is Everyone's Responsibility. उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. विनोद कुजूर थे। उनके अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश श्रीमती सुमन एक्का, विशाखा समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता टोप्पो, सदस्यगण, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता संघ दुर्ग के सदस्य अधिवक्तागण एवं अन्य अधिवक्तागण तथा श्रम विभाग की लेबर इंस्पेक्टर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस कार्यशाला की सबसे महत्वपूर्ण बात थी इसका समावेशी दृष्टिकोण। पॉश एक्ट को केवल महिलाओं से जुड़ा विषय मानने के बजाय, इस बार न्यायालय के पुरुष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी

सक्रिय रूप से सहभागी बनाया गया। महिला कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रथम चरण के बाद यह विशेष सत्र इस विचार पर केंद्रित रहा कि लैंगिक समानता और सुरक्षित कार्यस्थल केवल एक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे संस्थान की साझा जिम्मेदारी है। तकनीकी सत्रों में षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती श्यामवती मरावी ने पॉश एक्ट, 2013 के प्रमुख प्रावधानों, आंतरिक शिकायत समिति के गठन तथा शिकायतों की निष्पक्ष और संवेदनशील जांच की प्रक्रिया पर व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। दूसरे सत्र में स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा लकड़ा ने भारतीय श्रम कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हुए मातृत्व लाभ, कार्य के घंटे, समान अवसर तथा महिलाओं के कार्यस्थल संबंधी अधिकारों की जानकारी दी।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. विनोद कुजूर ने कार्यस्थल पर गरिमा, परस्पर सम्मान और संवेदनशील व्यवहार को संस्थागत संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बताया तथा सभी से इसे व्यवहार में उतारने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी पॉस्को) अनीश दुबे के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

## जागरूकता कार्यशाला • जिला न्यायालय में पॉश एक्ट व श्रम कानूनों की कर्मचारियों को जानकारी दी कार्यस्थल पर गरिमा, सम्मान और संवेदनशील व्यवहार संस्थागत संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए: न्यायाधीश के. विनोद

स्टिरीरिपोर्टर | दुर्ग

जिला न्यायालय दुर्ग के नए सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH एक्ट) तथा महिलाओं के अधिकार एवं श्रम कानून विषय पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्यस्थल के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर ने कहा कि कार्यस्थल पर गरिमा, परस्पर सम्मान और संवेदनशील व्यवहार संस्थागत संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने सभी से इन मूल्यों को अपने व्यवहार में शामिल



जिला न्यायालय के सभागार में हुई कार्यशाला में शामिल अधिकारिता और अन्य।

करने का आह्वान किया।

कार्यशाला का विशेष पहलू इसका समावेशी दृष्टिकोण रहा। महिला कर्मचारियों के लिए प्रथम चरण के आयोजन के बाद इस सत्र में न्यायालय के पुरुष अधिकारियों एवं

कर्मचारियों को भी सहभागी बनाया गया।

इसमें लैंगिक समानता और सुरक्षित कार्यस्थल को पूरे संस्थान की जिम्मेदारी के रूप में समझने पर जोर दिया गया। तकनीकी सत्र में षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

श्यामवती मरावी ने POSH एक्ट, 2013 के प्रमुख प्रावधानों, आंतरिक शिकायत समिति के गठन तथा शिकायतों की निष्पक्ष एवं संवेदनशील जांच की प्रक्रिया की जानकारी दी। दूसरे सत्र में स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष सुषमा लकड़ा ने भारतीय श्रम कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने मातृत्व लाभ, कार्य के घंटे, समान अवसर और महिलाओं के कार्यस्थल संबंधी अधिकारों की जानकारी दी।

कार्यक्रम में कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश सुमन एक्का, विशाखा समिति की अध्यक्ष सुनीता टोप्पो, समिति के सदस्य, सभी न्यायिक अधिकारी, अधिकारिता संघ दुर्ग के सदस्य अधिकारिता एवं अन्य अधिकारिता तथा श्रम विभाग की लेबर इंस्पेक्टर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

# सुरक्षित कार्यस्थल के लिए साझा जिम्मेदारी जरूरी

नईदुनिया(वि.),दुर्ग: जिला न्यायालय दुर्ग के नवीन सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम-2013 (पीओएसएच एक्ट), महिलाओं के अधिकार एवं श्रम कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सुरक्षित कार्यस्थल प्रत्येक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है विषय पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर रहे। कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश सुमन एक्का, विशाखा समिति की अध्यक्ष सुनीता टोप्पो सहित समिति के सदस्य, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता संघ दुर्ग के पदाधिकारी व अधिवक्ता तथा श्रम विभाग की लेबर इंस्पेक्टर उपस्थित रहीं। कार्यशाला में पीओएसएच एक्ट को केवल महिलाओं से संबंधित विषय न मानकर पुरुष



कार्यशाला में उपस्थित न्यायाधीश एवं अधिवक्तागण। • जनसंपर्क

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सक्रिय रूप से सहभागी बनाया गया। महिला कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रथम चरण के बाद हुए इस सत्र में लैंगिक समानता, सम्मान और सुरक्षित कार्यस्थल को पूरे संस्थान की साझा जिम्मेदारी बताया गया। तकनीकी सत्र में षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामवती मरावी ने पीओएसएच एक्ट के प्रमुख प्रावधानों, आंतरिक शिकायत समिति के गठन तथा शिकायतों की निष्पक्ष एवं संवेदनशील जांच प्रक्रिया की जानकारी दी। दूसरे सत्र में स्थायी लोक

अदालत की अध्यक्ष सुषमा लकड़ा ने मातृत्व लाभ, कार्य के घंटे, समान अवसर और महिलाओं के कार्यस्थल संबंधी अधिकारों सहित महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की जानकारी दी। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर ने कार्यस्थल पर गरिमा, परस्पर सम्मान और संवेदनशील व्यवहार को संस्थागत संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बताया। कार्यक्रम का समापन चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीश दुबे के आभार प्रदर्शन के साथ हुआ।

# Awareness workshop on POSH Act held

■ **Staff Reporter**

DURG, Aug 19

A SPECIAL awareness workshop on the Prevention of Sexual Harassment (POSH) Act as well as Rights of Women and Labour Laws was organised in the new auditorium of the Principal District Court, focusing on the theme of building a safe workplace through shared responsibility. The primary message of the event was that a safe workplace is everyone's responsibility. The workshop was graced by Principal District and Sessions Judge K Vinod Kujur as the chief guest, alongside Principal Judge of the Family Court Suman Ekka, Vishakha Committee Chairperson Sunita Toppo, judicial officers, members of the Durg Bar Association, and a labour inspector from the Labour Department.

A standout feature of this session was its inclusive approach. Rather than treating the POSH Act as a women-centric issue alone, male officers and employ-



Participants being addressed by a judicial officer.

ees of the court actively participated to reinforce the idea that gender equality and workplace safety are collective duties. During the technical sessions, Sixth Additional District and Sessions Judge Shyamvati Maravi provided practical guidance on the key provisions of the POSH Act, 2013, the formation of Internal Complaint Committees, and fair investigation procedures. In the second session, Permanent Lok Adalat Chairperson Sushma Lakra discussed essential labour laws, covering maternity bene-

fits, working hours, equal opportunities, and women's occupational rights.

In his presidential address, Principal District and Sessions Judge K Vinod Kujur emphasised that dignity, mutual respect, and sensitive behaviour must become integral parts of institutional culture, urging everyone to practice them daily. The workshop concluded with a vote of thanks delivered by Fourth Additional District and Sessions Judge (FTSC POC SO) Anish Dubey.